कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की

पत्रांकः— /प्र0ख0/निष्प्रोज्य वाहन/नीलामी दिनांक

नीलामी की सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड शासन की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की द्वारा सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की की कार्यशाला/गैराजों में खड़े निम्नलिखित निष्प्रोज्य घोषित वाहनों हेतु बोलियॉ आमंत्रित की जाती हैं। निष्प्रोज्य वाहनों की नीलामी दिनांक 18.01.2022 (मंगलवार) को सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की के ऑडिटोरियम में पूर्वान्ह 11.00 बजे "जहॉ है. जैसा है" के आधार पर नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित स्थान एंव समय पर बोली में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एंव आवश्यक नियम एंव शर्ते संस्थान की website www.iriroorkee.res.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में प्रस्तुत होकर धनराशि रू0 200.00 मात्र जमा कराने के उपरान्त प्राप्त कर सकते हैं, संदर्भित निष्प्रयोज्य वाहनों का विवरण निम्नवत है।

संदर्भित वाहनों का विवरण

क0सं0	विवरण	रजिस्ट्रशन संख्या	धरोहर राशि 5% (18% जी0एस0टी0सहित) रू0
01	जीप (डीजल चलित)माडल— 1988	यु0एम0यू0—8590	4008.00+ 721.00 = 4729.00
02	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल—2004	यू0ए0—07 एच0—0985	2320.00+ 418.00 = 2738.00
03	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल—1992	यू0पी0—10—ए—3159	2320.00+ 418.00 = 2738.00
04	जीप (डीजल चलित)माडल— 1982	यू0आर0एफ0—8065	4008.00+ 721.00 = 4729.00

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की

पत्रांकः— 04 /प्र0ख0/ तदिनांक— 16/12/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— मुख्य अभियन्ता स्तर —1 परिकल्प एंव निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की।
2— अधीक्षण अभियन्ता,शोध मण्डल/परिकल्प मण्डल/नलकूप मण्डल,रुड़की।
3— जिलाधिकारी ,हरिद्वार।
4— श्री दीप चन्द धीमान,अध्यक्ष निष्प्रयोज्य वाहन नीलामी समिति/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,कलक्ट्रेट,हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित है कि नीलामी तिथि 18.01.2022 को प्रशासन खण्ड, रुड़की में ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें।
5— अधिशासी अभियन्ता,परिकल्प खण्ड/सिंचाई खण्ड/नलकूप खण्ड/स्थापना खण्ड/सिंचाई कार्यशाला खण्ड,रुड़की।
6— शोध अधिकारी, आधारन्वेषण इकाई,रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी की सूचना को संस्थान की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
7— सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,रुड़की ,सदस्य, निष्प्रयोज्य वाहन नीलामी समिति प्रशासन खण्ड,रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित है कि नीलामी तिथि 18.01.2022 को प्रशासन खण्ड, रुड़की में ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें।
8— सहायक अभियन्ता —द्वितीय,प्रशासन खण्ड,रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इच्छुक बोली दाताओं द्वारा इस खण्ड की नीलाम किये जाने वाले वाहनों का निरीक्षण नीलामी की सूचना प्रकाशन होने के पश्चात नीलामी की तिथि के एक दिन पहले तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक किया जाना है जिस हेतु आवश्यक व्यवस्थाए पूर्ण करना सुनिष्चित करे।
9— थाना अध्यक्ष थाना गंगनहर,रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी की तिथि को 02 कान्सटेबल उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि नीलामी की प्रकिया को शान्ति पूर्वक सम्पपन कराया जा सके।
10— नोटिस बोर्ड सिंचाई अनुसंधान संस्थान/सिंचाई परिकल्प संगठन,रुड़की।

16/12
अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की

पत्रांक: 595/
AE (C)
20.12.2021

नियम एंव शर्तेः–

1. नीलाम किये जाने वाले वाहन जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की की कार्यशाला एंव गैराजों में हैं का निरीक्षण नीलामी सूचना प्रकाशित होने के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि के एक दिन पूर्व तक प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक किया जा सकता है।

2. प्रत्येक वाहन की बोली पृथक–प्रथक दी जायेगी।

3. वाहन **"जैसा है जहॉ है"** के आधार पर नीलाम किया जायेगा तथा नीलामी के बाद उसी स्थान से उठाया जायेगा।

4.बोलीदाता को राजकीय सामान की नीलामी की शर्ते जो भी विभाग द्वारा निश्चित की जायेगी का पालन करना होगा।

5. बोलीदाता को निम्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में दिनांक 11.01.2022 के सांय 4.00 बजे .तक जमा करनी होगी एंव मूल प्रति अपने साथ लायेगें एंव समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें ताकि उनका सत्यापन किया जा सके :–

(I) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो कि नीलामी तिथि से छः माह से पूर्व का न हो।

(II) पैन न0 एंव जी0.एस0.टी0 नम्बर।

(III) पहचान के लिये बोलीदाता का आधार कार्ड।

(IV) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत बोलीदाता का न्यूनतम रू0 253100.00 का हैसियत प्रमाण पत्र।

(V) इच्छुक बोलीदाता दिनांक 11.01.2022 तक प्रत्येक वाहन की अलग–अलग (1).जीप (डीजल चलित) माडल– 1988 के लिये रू0 4729.00(रू0 चार हजार सात सौ उनतीस मात्र) (2). एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–2004 के लिये रू0 2738.00, (रू0 दो हजार सात सौ अढतिस मात्र) (3). एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–1992 के लिये रू0 2738.00 (रू0 दो हजार सात सौ अढतिस मात्र) तथा (4).जीप (डीजल चलित) माडल– 1982 के लिये रू0 4729.00(रू0 चार हजार सात सौ उनतीस मात्र) F.D.R /C.D.R/Post office pasbook/ N.S.C/K.V.P (मूल प्रति) के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता के नाम बन्धक होगी जमा करनी होगी।

6. अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए बोली की धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली छूटने के बाद 24 धन्टे तक जमा करनी होगी। नीलामी की शेष धनराशि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त सात दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। बोलीदाता द्वारा यदि 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमा धनराशी जब्त कर ली जायेगी।

7. अधिकतम बोली की राशि पर बोलीदाता को नियमानुसार जी0एस0टी0 व अन्य कर अलग से देना होगा।

8. बिना कारण बताये नीलामी अथवा किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

9. नीलामी से सम्बन्धित किसी विवाद का दावा माननीय न्यायालय जनपद हरिद्वार के क्षेत्र में ही मान्य होगा।

10. सक्षम अधिकारी द्वारा वाहनों की न्यूनतम बोली की धनराशि निम्नवत निर्धारित की गयी है–

<u>संदर्भित वाहनों की न्यूनतम बोली की धनराशी</u>

क0सं0	वाहन संख्या तथा मेक एंव माडल	न्यूनतम मूल्य रू0	धरोहर राशि 5% (18% जी0एस0टी0सहित) रू0
01	जीप (डीजल चलित)माडल– 1988	80150.00	4008.00+ 721.00 = 4729.00
02	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–2004	46400.00	2320.00+ 418.00 = 2738.00
03	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–1992	46400.00	2320.00+ 418.00 = 2738.00
04	जीप (डीजल चलित)माडल– 1982	80150.00	4008.00+ 721.00 = 4729.00
	Total Rs	253100.00	

16/12

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की